

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक मूल अधिकार क्षेत्र

रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 149/2024

गिरीश गांधी

याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रतिवादीगण

::हेडनोट::

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 441 - अभियुक्त और जमानतदारों का बांड  
- अनुच्छेद 21 - 13 भारतीय संविधान - 6 राज्यों में याचिकाकर्ता के खिलाफ  
एफआईआर - अत्यधिक और कठिन शर्तों का लागू होना: अत्यधिक जमानत  
कोई जमानत नहीं है - जमानत देना और उसके बाद अत्यधिक और कठिन  
शर्तें लगाना, बाएं हाथ से वह छीनना है जो दाएं हाथ से दिया गया है - क्या  
अत्यधिक है यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।  
रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

## निर्णय

### के.वी. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति

1. प्रस्तुत रिट याचिका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, याचिकाकर्ता गिरीश गांधी द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि एक उपयुक्त रिट या निर्देश पारित किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि याचिकाकर्ता द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 0030/2021 दिनांक 21.01.2021, थाना सदर, जिला गुरुग्राम, के संदर्भ में दिए गए व्यक्तिगत बांड एवं जमानतें ग्यारह अन्य जमानत आदेशों के लिए भी मान्य हों, जो विभिन्न राज्यों की अदालतों द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में दिए गए जमानत आदेशों का विवरण आगे प्रस्तुत किया गया है।

2. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता इस राहत का हकदार है कि उसने जो व्यक्तिगत बांड और एक बार प्रस्तुत की गई जमानतें दी हैं, उन्हें अन्य जमानत आदेशों के लिए भी मान्य माना जाए?

### संक्षिप्त तथ्य:-

3. मोटे तौर पर अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि जिस कंपनी से याचिकाकर्ता संबंधित था, जिसका नाम है व्हाइट ब्लू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा गया है), उसने किराने की दुकानों को खोलने के लिए फ्रेंचाइजी समझौते के माध्यम से अपने ट्रेड नाम के उपयोग की अनुमति दी। कंपनी ने फ्रेंचाइजी राशि और वापसी योग्य सुरक्षा राशि भी प्राप्त की। आरोप का सार यह है कि कंपनी को कुछ मामलों में दुकान खोलने के लिए स्थान किराए पर देना था कुछ मामलों में मासिक बिक्री पर 5 प्रतिशत कमीशन

कुछ में माल की बिक्री पर 10 प्रतिशत लाभ कुछ निवेशों पर 12 प्रतिशत ब्याज (डिविडेंड के रूप में) और कुछ समझौतों में न्यूनतम 24 प्रतिशत लाभ देने का वादा किया गया था - जो कंपनी पूरा करने में विफल रही।

4. कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, अर्थात् 406, 420 और 506 के अंतर्गत 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। याचिकाकर्ता को इन सभी मामलों में शर्तों सहित जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। एफआईआर संख्या, एफआईआर दर्ज किए जाने का स्थान और जमानत की शर्तों का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

| जमानत आदेशों की सूची |               |                                            |                                                                                            |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम संख्या          | एफआईआर संख्या | एफआईआर का स्थान                            | जमानत की शर्तें                                                                            |
| 1.                   | 190/2020      | पी.एस. सवीना, उदयपुर, राजस्थान             | रु50,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और रु25000 के दो जमानती जिसमें से एक स्थानीय जामनती होना चाहिए |
| 2.                   | 1028/2020     | पी.एस.सिविल लाइंस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानती, जिनकी राशि कोर्ट की संतुष्टि अनुसार हो (राशि निर्दिष्ट नहीं) |
| 3.                   | 685/2020      | पी.एस. वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश          | व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानती, जिनकी राशि                                                   |

|    |          |                                                 |                                                                                            |
|----|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                                 | कोर्ट की संतुष्टि अनुसार हो (राशि निर्दिष्ट नहीं)                                          |
| 4. | 190/2020 | पी.एस. कोटगेट बीकानेर                           | रु 1,00,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और रु 50,000 के दो जमानती                                   |
| 5. | 309/2020 | पी.एस. सिद्वार्थ नगर सिद्वार्थ नगर उत्तर प्रदेश | रु 75,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और रु 75,000 के दो जमानती                                     |
| 6. | 146/2020 | पी.एस. ज्वालापुर, हरिद्वार उत्तराखंड            | व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानती, जिनकी राशि कोर्ट की संतुष्टि अनुसार हो (राशि निर्दिष्ट नहीं) |
| 7. | 53/2020  | पी.एस. पिनारयी पिनारयी, केरल                    | रु 10,000 का व्यक्तिगत बॉन्ड और रु 10,000 का सॉल्वेंट जमानती                               |
| 8. | 343/2020 | पी.एस. कोतवाली, मथुरा उत्तर प्रदेश              | व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानती, जिनकी राशि कोर्ट की संतुष्टि अनुसार हो (राशि निर्दिष्ट नहीं) |
| 9. | 294/2020 | पी.एस. सिपरी बाजार, झांसी, उत्तर प्रदेश         | व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानती, जिनकी राशि कोर्ट की संतुष्टि अनुसार हो (राशि निर्दिष्ट नहीं) |

|     |          |                                               |                                                                                          |
|-----|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 30/2021  | पी.एस.सदर, गुरुग्राम,<br>हरियाणा              | रु 50,000/- की राशि के<br>व्यक्तिगत जमानती बॉन्ड<br>और रु 50,000/- की एक<br>जमानत        |
| 11. | 521/2020 | पी.एस.सदर, गुरुग्राम,<br>हरियाणा              | रु1,00,000/- की राशि में<br>फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें।                                      |
| 12. | 297/2020 | पी.एस. कोतवाली,<br>पटियाला, पंजाब             | व्यक्तिगत मुचलका और<br>ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के<br>अनुसार समान राशि की<br>दो जमानतें। |
| 13. | 222/2020 | पी.एस. तुलसीपुर,<br>बलरामपुर, उत्तर<br>प्रदेश | व्यक्तिगत बंधपत्र और दो<br>जमानतदार जो संबंधित<br>न्यायालय की संतुष्टि के<br>अनुसार हों। |

5. याचिकाकर्ता यह प्रस्तुत करता है कि उसने पहले ही विचारण न्यायालय में एफआईआर संख्या 0030/2021, थाना सदर, गुरुग्राम के संबंध में रु 50,000/- की निजी जमानत और रु 50,000/- के एक मुचलके के साथ जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता यह भी प्रस्तुत करता है कि उसने केरल के पिनारायी थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 53/2020 के संबंध में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी थलास्सेरी द्वारा पारित आदेश की शर्तों को भी पूरा कर दिया है।

6. याचिकाकर्ता की यह दलील है कि वह परिवार का मुख्या कमाने वाला सदस्य था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह कंपनी में केवल (खाता विभाग) प्रभारी के रूप में कार्यरत था, हालांकि अभियोजन पक्ष इस दावे का विवादित करता है। कुछ एफआईआर में शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वह कंपनी का निदेशक था। हम इस मुद्दे का समाधान करने के लिए यहां नहीं हैं। याचिकाकर्ता आगे यह भी कहता है कि उसकी पत्नी शरीरिक रूप से विकलांग है और एक निजी स्कूल में शिक्षिका है, और बमुश्किल अपने व अपने बेटे के लिए जीवनयापन कर पाती है। याचिकाकर्ता यह भी कहता है कि उसकी देखभाल के लिए एक वृद्ध मां है।

7. याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह है कि वह शेष 11 जमानत आदेशों में निर्देशित अनुसार अलग-अलग जमानती प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, वह यह प्रार्थना करता है कि पहले ही दो मामलों में प्रस्तुत जमानतों को इस प्रकार माना जाए कि उनका लाभ अन्य सभी ग्यारह मामलों में मिल सके।

8. जब यह मामला दिनांक 08.04.2024 को प्रस्तुत हुआ, तब इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

""1. श्री प्रेम प्रकाश, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता यह तर्क देते हैं कि 11 मामलों में जमानत आदेश पारित होने के बावजूद, याचिकाकर्ता जमानती प्रस्तुत न कर पाने के कारण अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा पा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता यह निर्देश देने की प्रार्थना करते हैं कि एफआईआर संख्या 0030/2021, दिनांक 21.01.2021, जो थाना सदर, जिला गुरुग्राम में

पंजीकृत है, के संबंध में प्रस्तुत निजी बांड एवं जमानतें याचिका में उल्लिखित अन्य जमानत आदेशों के लिए भी मान्य मानी जाएं।

2. प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए।

3. अतिरिक्त रूप से दस्ती की अनुमति दी जाती है।

4. याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह प्रतिवादी राज्यों के स्थायी अधिवक्ता को नोटिस भेजे।

5. इस मामले को आगे विचार हेतु 15.04.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

9. इस रिट याचिका में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड राज्य तथा भोंडसी जेल, गुरुग्राम के जेल अधीक्षक को क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। उपर्युक्त चार्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में 6 एफआईआर दर्ज हैं, हरियाणा में 2 एफआईआर, पंजाब में 1 एफआईआर, राजस्थान में 2 एफआईआर, उत्तराखंड में 1 एफआईआर और केरल में भी एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें जमानतें पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

10. जहां तक हरियाणा राज्य का संबंध है, जिन दो एफआईआर में जामनत आदेश प्राप्त हुए हैं, उनमें से एफआईआर संख्या 30/2021, जो थाना सदर, गुरुग्राम में पंजीकृत है, उसमें जमानती प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

11. संबंधित राज्यों द्वारा प्रत्युत्तर हलफनामे दायर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने यह तर्क दिया है कि एफआईआर संख्या 685/2020 में 07.07.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया है, जो कि धारा 420, 406, 506, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों से संबंधित

है, और यह आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा, उत्तर प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जहां तक एफआईआर संख्या 343/2020 का प्रश्न है, उसमें भी 14.07.2022 को आरोप पत्र दायर किया गया है, जो कि धारा 420, 406 और 506 आईपीसी के अन्तर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा के समक्ष दाखिल किया गया है। राज्य के अनुसार, प्रत्येक अपराध संख्या के लिए अलग-अलग जमानती आवश्यक है और कोई एक जमानती उस सीमा से अधिक राशि के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जितनी राशि का बांड उसने प्रस्तुत किया है। इस दृष्टिकोण से, राज्य का कहना है कि एक जमानती का बांड किसी अन्य अपराध संख्या से संबंधित मामलों में प्रस्तुत या प्रस्तुत किए जाने वाले बांड से मिलाया नहीं जा सकता। ऐसा कहते हुए, राज्य ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया है।

12. इसी प्रकार, राजस्थान राज्य द्वारा भी प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया है। राज्य ने यह संकेत दिया है कि ऊपर उल्लिखित दो एफआईआर के अलावा एक और एफआईआर संख्या 230/2020 थाना सदरपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान में दर्ज है। राज्य का यह कहना है कि प्रत्येक मामले के लिए अलग-अलग जमानतदार की आवश्यकता होती है और कोई भी सामान्य जमानतदार उस राशि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो उसके द्वारा प्रस्तुत बांड की राशि से अधिक हो। राज्य ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का भी विरोध किया है।

13. उसी प्रकार, उत्तराखंड ने यह कहा है कि चूँकि राज्य में केवल एक एफआईआर लंबित है, इसलिए अलग व्यक्तिगत बांड और जमानतदार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। भोंडसी जेल, गुरुग्राम के अधीक्षक ने भी

याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया है।

14. याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया है जिसमें कुछ बाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि उसे खिलाफ दो और एफआईआर दर्ज की गई है, अर्थात् एफआईआर संख्या 608 2022, जो थाना विभूति खंड, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 13.09.2022 को आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज की गई है, और एफआईआर संख्या 141 2023, जो 21.05.2023 को थाना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर में उत्तर प्रदेश गिराहबंदी एवं समाजविरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि जहां तक एफआईआर संख्या 608 200 (थाना विभूति खंड) का संबंध है, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में रिट याचिका आपराधिक डायरी संख्या 20302 2024 दाखिल की थी। हमने देखा कि उक्त कार्यवाही को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया है कि याचिकाकर्ता का उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई है। हम एफआईआर संख्या 608 2022 के संबंध में इससे अधिक कुछ नहीं कहते।

15. यह प्रार्थना की गई है कि एफआईआर संख्या 222, दिनांक 08.09.2020, जो थाना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई थी, उसमें दी गई जमानत का लाभ याचिकाकर्ता को एफआईआर संख्या 0141 2023, दिनांक 21.5.2023, जो थाना तुलसीपुर, जिला बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, से संबंधित मामले में भी दिया जाए। हम इस प्रार्थना को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। याचिकाकर्ता का उपयुक्त कार्यवाही करने की स्वतंत्रता है, जिसे कानून के अनुसार और इस आदेश से अप्रभावित रहते हुए

निर्णय लिया जा सकता है। हम वर्तमान मामले में केवल इस बात से संबंधित हैं कि जिन ग्यारह एफआईआर में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, उनमें जमानती आदेशों के समेकन के लिए कोई आदेश हो सकता है या नहीं, और यदि हो सकता है, तो किस प्रकार से।

### विवाद के बिंदु:

16. हमने श्री प्रेम प्रकाश, याचिकाकर्ता के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता, तथा संबंधित राज्यों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं। हमने रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

### विश्लेषण और तर्क:

17. इसमें कोई विवाद नहीं है कि ऊपर तालिका में दिए गए 13 मामलों में याचिकाकर्ता को जमानत मिल चुकी है। जमानत आदेश अंतिम हो गए हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा उन्हें चुनौती नहीं दी गई है। यह भी निर्विवाद है कि इन मामलों में से दो-एफआईआर संख्या 0030 वर्ष 2021, जो थाना सदर, गुरुग्राम में दर्ज है, और एफआईआर संख्या 53 वर्ष 2020, जो थाना पिनायरी में दर्ज है-में जमानतदार पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि 13 मामलों में जमानत मिलने के बावजूद, याचिकाकर्ता जमानतदार प्रस्तुत नहीं कर सका है। ऐसे दो मामले हैं जिनमें अभी जमानत नहीं दी गई है, और हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान कार्यवाही उन मामलों से संबंधित नहीं है।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441, जो बांड और जमानतदारों से संबंधित है, इस प्रकार है:

"धारा 441. अधियुक्त और जमानतदारों का बांड-

(1) किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने या उसके निजी बांड पर रिहा करने से पहले, उतनी राशि के बांड पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जितनी पुलिस अधिकारी या न्यायालय (जैसा मामला हो) उचित समझे। और जब वह व्यक्ति जमानत पर रिहा किया जाता है, तो एक या अधिक सक्षम जमानतदारों के साथ यह शर्त होगी कि वह व्यक्ति उस समय और स्थान पर उपस्थिति होगा जो बांड में उल्लिखित है, और जब तक पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, तब तक उपस्थिति देता रहेगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति की रिहाई पर कोई शर्त लगाई जाती है , तो वह शर्त भी बांड में शामिल होगी।

(3) यदि मामला आवश्यक समझे, तो बांड में यह भी शर्त होगी कि वह व्यक्ति, जिसे जमानत पर रिहा किया गया है, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थिति देगा और आरोप का उत्तर देगा।

(4) यह तय करने के लिए कि जमानतदार योग्य और पर्याप्त हैं या नहीं, न्यायालय हलफनामे को स्वीकार कर सकता है जिसमें जमानतदारों की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित तथ्य दर्ज हों। या यदि आवश्यक समझे

तो न्यायालय स्वयं जांच कर सकता है या किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है कि जमानतदार पर्याप्त और उपयुक्त हैं या नहीं।”

19. धारा 446 दंड प्रक्रिया संहिता की, जो यह निर्धारित करती है कि जब बांड जब्त कर लिया जाए तो प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रकार है:

”धारा 446. जब बांड जब्त हो जाए तब की प्रक्रिया-

(1) यदि इस संहिता के अंतर्गत कोई बांड न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए या संपत्ति प्रस्तुत करने के लिए है, और यह प्रमाणित हो जाता है कि बांड जब्त कर लिया गया है, तो जिस न्यायालय में बांड लिया है या वह न्यायालय जिसे मामला स्थानांतरित किया गया है, यह प्रमाणित करने पर कि बांड जब्त हो गया है, वह कार्यवाही करेगा।

या यदि इस संहिता के अंतर्गत किसी अन्य बांड के संबंध में, यह प्रमाणित होता है कि बांड जब्त कर लिया गया है, और वह प्रमाण किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय या उस न्यायालय को संतोषप्रद रूप से प्रस्तुत किया जाता है जहाँ मामला स्थानांतरित किया गया है, तो वह न्यायालय उचित कार्यवाही करेगा, न्यायालय ऐसे प्रमाण के आधारों को दर्ज करेगा, और उस व्यक्ति को, जो ऐसे बांड से बंधा है, दंड राशि का भुगतान करने या यह बताने के लिए कह सकता है कि वह राशि क्यों न दी जाए।

20. जैसा कि पहले बताया गया है, याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले छह राज्यों में फैले हुए हैं। जहाँ तक केरल राज्य का संबंध है, याचिकाकर्ता पहले ही जमानती प्रस्तुत कर चुका है और वहाँ केवल एक ही मामला है। हरियाणा राज्य के दो मामलों में से एक में उसने जमानती प्रस्तुत किया है और दूसरे मामले में 1,00,000/- रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) देने का

आदेश दिया गया है। हम इस आदेश में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं करते। शेष राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड हैं। इन राज्यों में, भले ही संबंधित मामलों में जमानत दी जा चुकी हो, याचिकाकर्ता अब भी हिरासत में है क्योंकि वह जमानती प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

21. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 'Surety' (जमानती) को परिभाषित करती है- "एक व्यक्ति जो किसी अन्य की जिम्मेदारी लेता है"। पी. रमणाथ अय्यर द्वारा रचित एडवांस लॉ लेक्सिकन (2005 की तीसरी संस्करण) के अनुसार 'Surety' का अर्थ है - "एक ऐसा जमानत जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी आपराधिक मामले में जिम्मेदारी लेता है"।

22. चाहे किसी व्यक्ति को ऋण लेनदेन में गारंटर के रूप में खड़ा करना हो या किसी आपराधिक कार्यवाही में जमानती के रूप में, किसी व्यक्ति के लिए विकल्प बहुत सीमित होता है। यह प्रायः कोई करीबी रिश्तेदार या पुराना मित्र ही होता है। आपराधिक कार्यवाही में यह दायरा और भी संकरा हो सकता है क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति होती है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उस आपराधिक कार्यवाही की जानकारी रिश्तेदारों और मित्रों को नहीं दी जाती। ये हमारे देश के जीवन की कठोर सच्चाइयाँ हैं और एक न्यायालय होने के नाते हम इनसे आँखें मूंद नहीं सकते। हालांकि, समाधान केवल कानून के दायरे में ही खोजा जाना चाहिए।

23. प्राचीन काल से ही यह सिद्धांत रहा है कि अत्यधिक जमानत, वास्तव में जमानत नहीं होती। जमानत देना और फिर अत्यधिक व कठोर शर्तें लगाना ऐसा है जैसे दाएं हाथ से कुछ देना और बाएं हाथ से उसे वापस ले लेना। क्या अत्यधिक है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कई जमानती खोजने में वास्तविक

कठिनाई हो रही है। जमानती इसलिए आवश्यक होते हैं ताकि जमानत पर रिहा किए गए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, जब न्यायालय ऐसे मामलों से जूझता है जहाँ जमानत मिलने के बावजूद आरोपी, आदेशानुसार, कई मामलों में जमानती नहीं जुटा पाता, तब जमानती देने की आवश्यकता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत होती है। ऐसा आदेश जो व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा करे और साथ ही उसकी उपस्थिति की गारंटी भी दे, वह उचित और आनुपातिक होगा। ऐसा आदेश क्या होना चाहिए, यह फिर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

24. Satendra Kumar Antil बनाम Central Bureau of Investigation & Anr., (2022) में, इस न्यायालय ने यह माना कि "ऐसी शर्त थोपना जिसका पालन असंभव हो, रिहाई के उद्देश्य को ही विफल करना होगा।"

25. इस न्यायालय ने एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 8914-8915 2018 (हनी निषाद उर्फ मोहम्मद इमरान उर्फ विक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में उस स्थिति में निम्नलिखित आदेश पारित किया, जहाँ याचिकाकर्ता को 31 मामलों का सामना करना पड़ रहा था:

"प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, विवादित आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को रु 30,000/- (तीस हजार रुपए मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र भरना होगा और यह एक ही बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। दो जमानती होंगे जो रु 30,000/- के बंधपत्र भरेंगे, और यह बंधपत्र भी सभी 31 मामलों के लिए मान्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा भरा गया व्यक्तिगत बंधपत्र और दोनों जमानतियों

द्वारा भरा गया बंधपत्र सभी 31 मामलों के लिए मान्य माना जाएगा। इन टिप्पणियों के साथ, विशेष अनुमति याचिकाएँ निपटा दी जाती हैं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निपटा दिए जाएंगे।”

हनी निषाद (पूर्वोक्त) मामले में केवल एक राज्य शामिल था, क्योंकि सभी मामले उत्तर प्रदेश राज्य में लंबित थे।

26. हम इस न्यायालय के एक अन्य आदेश का उल्लेख करना उपयोगी समझते हैं, जो "In Re Policy Strategy for Grant of Bail" (Criminal) No. 4/2021 में पारित किया गया था और जिसे 2023 एससीसी ऑनलाइन एसी 483 में रिपोर्ट किया गया है। दिनांक 31.01.2023 के इस आदेश द्वारा न्यायालय ने न्याय मित्र द्वारा सुझाए गए कुछ दिशा-निर्देशों का समर्थन किया और उनके अनुपालन के लिए आदेश पारित किया। उन दो प्रमुख निर्देशों को नीचे उद्धृत किया गया है:

6) "यदि जमानत बांड जमानत दिए जाने की तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर यह विचार कर सकता है कि क्या जमानत की शर्तों में संशोधन या ढील देने की आवश्यकता है।"

7) "आरोपी/दोषी की रिहाई में देरी के एक कारण के रूप में स्थानीय जमानतदार पर जोर देना होता है। ऐसे मामलों में यह सुझाव दिया गया है कि न्यायालय स्थानीय जमानत की शर्त न लगाए।"

27. एफआईआर संख्या 190/2020, थाना सवीना, उदयपुर, राजस्थान में दर्ज मामले में जमानत आदेश के तहत स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने की शर्त लगाई गई है। याचिकाकर्ता हरियाणा का निवासी है और उसके लिए स्थानीय जमानती जुटाना एक कठिन कार्य है। यह शर्त जमानत आदेश को प्रभावहीन बना रही है। हमें इसके लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक शब्दों को दोहराएं, जो उन्होंने मोती राम व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1978) 4 एस.सी.सी. 47 में कहे थे:

"33. और तो और, मजिस्ट्रेट ने उसी जिले से जमानती की मांग की है! (हम याचिका में किए गए इस कथन को सही मानते हैं)। यदि कोई मलयाली, कन्नड़, तमिल या तेलुगु व्यक्ति बस्तर, पोर्ट ब्लेयर, पहलगाम या चांदनी चौक में कथित गबन, चोरी या आपराधिक अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार हो जाए तो वह क्या करे? उसके पास इन दूरदराज क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले जमानती नहीं होंगे। वह वहाँ किसी समूह में आया हो सकता है या नौकरी की तलाश में या किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए आया हो सकता है। ऐसे प्रांतीय पूर्वाग्रहों से न्यायिक रूप से भारतीय एकता को तोड़ा जा सकता है। कौन-सा कानून यह कहता है कि जमानती केवल उसी जिले से होने चाहिए? कौन-सा कानून बाहर व्यक्तियों या गैर-स्थानीय भाषा में आवेदन को रोकता है? यह प्रवृत्ति कभी भौगोलिक, कभी भाषायी, तो कभी विधिक रूप में सामने आती है। अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को भारत के भूभाग में समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 350 के तहत कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में, जो भारत में प्रयुक्त होती है, किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय से अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य की भाषा में किया गया

वकालतनामा या घोषणा, यदि उस राज्य के कानून के अनुसार मान्य है, तो उसे पूरे भारत में स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई वैध विरोधी विधि मौजूद न हो। अन्यथा, एक आदिवासी स्वतंत्र भारत में भी स्वतंत्र नहीं रहेगा, और इसी तरह अन्य अल्पसंख्यक भी। यह विषयांतर इसलिए आवश्यक हो गया है ताकि न्यायिक क्षेत्रवाद को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय अपने ही देश में पराए न बन जाएं। स्वराज एकता से बना है, विभाजन से नहीं।”

उपरोक्त के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता को स्थानीय जमानती प्रस्तुत करने की शर्त से मुक्त करते हैं।

28. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में लंबित एफआईआरों के संबंध में, प्रत्येक राज्य में याचिकाकर्ता 50,000/- की व्यक्तिगत बंधपत्र (पर्सनल बॉण्ड) प्रस्तुत करेगा और दो जमानतदारों 30,000/- प्रत्येक की जमानत राशि के साथ बंधपत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित राज्य में सूचीबद्ध सभी एफआईआरों के लिए मान्य होगा, जैसा कि उपर दिए गए चार्ट में वर्णित है। एक ही जमानतदारों का समूह सभी राज्यों में जमानत देने के लिए मान्य होगा। हमें विश्वास है कि यह निर्देश न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा तथा यह संतुलित और युक्तिसंगत है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, उपरोक्त निर्देश निम्नलिखित एफआईआरों पर लागू होंगे, एफआईआर 1028/2020, थाना सिविल लाइंस, मुरादाबाद, एफआईआर संख्या 685/2020, थाना वृंदावन, मथुरा, एफआईआर संख्या 309/2020, थाना सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर, एफआईआर संख्या 343/2020, थाना कोतवाली, मथुरा, एफआईआर संख्या 294/2020, थाना सिपरी बाजार, झांसी, एफआईआर संख्या 222/2020, थाना तुलसीपुर, बलरामपुर

उत्तरप्रदेश राज्य के लिए, 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और 30,000/- के दो जमानत बंधपत्र एफआईआर संख्या 685/2020, थाना वृंदावन, मथुरा के संबंध में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत बंधपत्र उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त चार्ट में उल्लिखित सभी अन्य एफआईआरों के लिए भी मान्य होंगे।

29. पंजाब राज्य के लिए, उपरोक्त निर्देश एफआईआर संख्या 297/2020, जो थाना कोतवाली, पटियाला, पंजाब में दर्ज है, के संबंध में लागू होंगे।

30. राजस्थान राज्य के लिए, उपरोक्त निर्देश एफआईआर संख्या 190/2020, जो थाना सवीना, उदयपुर, राजस्थान तथा एफआईआर संख्या 190/2020, जो थाना कोटगेट, बीकानेर, राजस्थान में दर्ज है, के संबंध में लागू होंगे। राजस्थान राज्य के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत की कार्यवाही एफआईआर संख्या 190/2020, थाना सवीना, उदयपुर के संबंध में की जाएगी। यह व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानत का बंधपत्र राजस्थान राज्य में दर्ज अन्य एफआईआरों के लिए भी लाभकारी होगा, जैसा कि उपर पैराग्राफ 4 में दिए गए चार्ट में वर्णित है।

31. उत्तराखंड राज्य के लिए, उपरोक्त निर्देश एफआईआर संख्या 146/2020, जो थाना ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड में दर्ज है, के संबंध में लागू होंगे।

32. यह शर्त संबंधित जमानत आदेशों में लगाई गई शर्तों का स्थान लेगी (उन्हें अधिरोहित करेगी)। हम यह दोहराते हैं कि हमने एफआईआर संख्या 608/2022 दिनांक 13.09.2022, जो थाना विभूति खंड, जनपद लखनउ,

उत्तरप्रदेश में दर्ज है, एफआईआर संख्या 141/2023 दिनांक 21.05.2023, जो थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, उत्तरप्रदेश में दर्ज है, तथा एफआईआर संख्या 230/2020, जो थाना सदरपुर, जनपद जोधपुर, राजस्थान में दर्ज है, के संबंध में कोई विचार नहीं किया है और न ही किसी अन्य एफआईआर के संबंध में, सिवाय उनके जो उपर पैराग्राफ 4 में दिए गए चार्ट में उल्लिखित है, जिनसे याचिकाकर्ता संबंधित हो सकता है। याचिकाकर्ता इन मामलों में स्वतंत्र कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

33. उपरोक्त दिए गए निर्देशों के अनुसार यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(हस्ताक्षर)

[बी.आर.गवई, न्यायाधीश]

[के.वी.विश्वनाथन, न्यायाधीश]

नई दिल्ली,

22 अगस्त, 2024